

3803-A**B.Com. (Third Year) Examination, 2017****ACCOUNTANCY AND STATISTICS****(Indirect Taxes)***Time : Three Hours**Maximum Marks : 100***PART-A****[Marks : 20]****(खण्ड-अ)**

Answer all questions (50 words each).

All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक न हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

PART-B**[Marks : 50]****(खण्ड-ब)**

Answer *five* questions (250 words each). Select *one* question from each unit. All questions carry equal marks.

प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न चुनते हुए, कुल पाँच प्रश्न कीजिए।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

PART-C**[Marks : 30]****(खण्ड-स)**Answer any *two* questions (300 words each).

All questions carry equal marks.

कोई दो प्रश्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से

अधिक न हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

PART-A
(खण्ड-अ)

1. Answer the following :

निम्न के उत्तर दीजिए :

UNIT-I

(इकाई-I)

(i) Explain various types of excise duties.

विभिन्न प्रकार के उत्पादन शुल्क को बताइये।

(ii) The unit sale price of a product including sales tax and excise duty is ₹ 9,43,825/-. If the rate of VAT is 5% and excise duty is 12.50%, ascertain the assessable value and per unit payable excise duty.

किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य (विक्रय कर एवं उत्पाद शुल्क सहित) ₹ 9,43,825 प्रति इकाई है। इस उत्पाद के विक्रय पर 5% विक्रय कर एवं 12.50% उत्पाद शुल्क देय है। निर्धारण योग्य मूल्य तथा प्रति इकाई देय उत्पाद शुल्क की गणना कीजिए।

UNIT-II

(इकाई-II)

(iii) What is the main object of imposing customs duties ?

सीमा शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

(iv) What do you mean by person in charge under Custom Act ?

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रभारी व्यक्ति से आपका क्या आशय है ?

UNIT-III

(इकाई-III)

- (v) Distinguish between Sale and Turnover under the Central Sales Tax Act.

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री तथा विक्रय राशि में अन्तर स्पष्ट करें।

- (vi) Calculate the amount of Central Sales Tax payable on inter-state sale of declared goods to unregistered dealer amounting to ₹ 7,50,000, in the month of March, 2016 if amount of tax-payable is included in the amount of sales. The state sales tax rate being 5.5%.

अपंजीकृत व्यापारी को मार्च माह में ₹ 7,50,000 के घोषित माल की अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री पर देय केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ज्ञात कीजिये, यदि बिक्री की राशि में देय कर शामिल हो। राज्य में कर की दर 5.5% है।

UNIT-IV

(इकाई-IV)

- (vii) Mention any *two* circumstances in which the Assessing Officer can cancel the registration of a dealer under Section 7(4)(b) of the Central Sales Tax Act.

किन्हीं दो परिस्थितियों का उल्लेख करिये जिनमें निर्धारण अधिकारी केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम की धारा 7(4)(b) के अन्तर्गत किसी व्यापारी का पंजीकरण निरस्त कर सकता है।

(viii) Which offences are mentioned in Section 10(a) of Central Sales Tax Act ?

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10(a) में किस अपराध का उल्लेख है ?

UNIT-V

(इकाई-V)

(ix) From which date the Value Added Tax came into force in Rajasthan ?

राजस्थान में मूल्य संवर्धित कर कौन-सी तिथि से लागू हुआ था ?

(x) When a dealer, who is an importer of goods, liable to get registered as per Section 11 of Rajasthan VAT Act, 2003 ?

राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 11 के अनुसार माल का आयातकर्ता व्यापारी पंजीकरण करवाने के लिये दायी कब होता है ?

PART-B

(खण्ड-ब)

UNIT-I

(इकाई-I)

2. A car manufacturing company manufactures required quantity of tyres in its factory. Cost of production of tyres is as below :

<i>Item</i>	<i>Amount ₹</i>
Direct Material	1,80,900
Direct Wages	90,230
Factory Overheads	35,800
Quality Control Cost	27,900
Research & Development Cost	13,500
Administrative Cost	18,280
Selling & Distribution Cost	2,560
Amount realised from Sale of Scrap	2,900

Administrative overheads incurred on production of tyres. Find cost of production under Central Excise Valuation Rules, 2,000 for the purpose of "Captive Consumption".

(1×10)

एक कार निर्माण कम्पनी, कारों के लिए आवश्यक टायर्स का उत्पादन, अपने कारखानों में ही करती है। टायर्स की उत्पादन लागत निम्नानुसार है -

मद	राशि ₹
प्रत्यक्ष सामग्री	1,80,900
प्रत्यक्ष मजदूरी	90,230
कारखाना उपरिव्यय	35,800
गुणवत्ता नियन्त्रण लागत	27,900
अनुसन्धान एवं विकास व्यय	13,500
प्रशासनिक उपरिव्यय	18,280
विक्रय तथा वितरण उपरिव्यय	2,560
अवशेष विक्रय से प्राप्ति	2,900

प्रशासनिक उपरिव्यय टायर उत्पादन से सम्बन्धित है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियम, 2000 के अनुसार "स्वयं के उपयोग के लिए" उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए।

OR (अथवा)

3. Explain the procedure of determination of Assessable Value under Central Excise Act.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात करने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।

UNIT-II

(इकाई-II)

4. What do you mean by additional duty of customs payable u/s 3(1) of the Customs Tariff Act, 1975 ? How is it calculated ? (6+4)

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के तहत देय अतिरिक्त सीमा-शुल्क से आपका क्या आशय है ? इसकी गणना किस प्रकार की जाती है ?

OR (अथवा)

5. From the following information compute the Customs Duty payable :

(i)	CIF value of goods imported in US dollars	10,000
(ii)	Freight from America to Indian Port in US dollars	2,000
(iii)	Marine insurance in US dollars	500
(iv)	Rate of Basic Customs Duty	10%
(v)	Rate of Excise Duty on such goods produced in India	12.5%
(vi)	Rate of Additional Duty of Customs u/s 3(5) is	4%
(vii)	Rate of exchange notified by the Board	1 US dollar = Rs. 45

How much Cenvat Credit can be availed by the importer under the Excise Act in respect of Customs duty paid by him if he is a manufacturer and consumers the imported goods in the manufacture ? (1×10)

निम्नलिखित सूचनाओं से देय सीमा-शुल्क की गणना कीजिये :

- | | | |
|-------|--|--------------------|
| (i) | आयातित माल का भाड़ा एवं बीमा सहित
अमेरिका की मुद्रा में मूल्य (CIF value) | 10,000 |
| (ii) | अमेरिका से भारतीय बन्दरगाह तक
का भाड़ा अमेरिका की मुद्रा में | 2,000 |
| (iii) | सामुद्रिक बीमा अमेरिका की मुद्रा में | 500 |
| (iv) | आधारभूत सीमा-शुल्क (BCD) की दर | 10% |
| (v) | भारत में उत्पादित ऐसे माल पर
उत्पाद शुल्क की दर (CVD) | 12.5% |
| (vi) | धारा 3(5) के तहत अतिरिक्त सीमा
शुल्क की दर | 4% |
| (vii) | बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दर | 1 US dollar = ₹ 45 |

यदि आयातकर्ता निर्माता है तथा आयातित माल का उपयोग अन्तिम उत्पाद के निर्माण में करता है तो उसे चुकाये गये सीमा शुल्क के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत कितनी राशि की सेनवैट जमा प्राप्त हो सकती है ?

UNIT-III

(इकाई-III)

6. What do you mean by Subsequent Sale of Goods ? Explain the provisions of the Central Sales Tax Act regarding exemption from tax in respect of subsequent sales. (4+6)
- माल की उत्तरवर्ती बिक्री से आप क्या समझते हैं ? उत्तरवर्ती बिक्री पर कर छूट के सम्बन्ध में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों को समझाइए।

OR (अथवा)

7. The particulars of sales of a registered dealer of Udaipur M/s Jyoti & Co. for First Quarter ending 30th June, 2016 are given as under :

	₹
(i) Sales of tax-free goods	10,50,000
(ii) Sales within State	6,00,000
(iii) Exports from India	7,50,000
(iv) Goods purchased in Indore for ₹ 6,90,000 and sold there for ₹ 7,50,000	
(v) Inter-State Sale (The rate of tax on these goods is 14.5% and the customers returned goods worth ₹ 1,02,600/- within 6 months)	21,54,600
(vi) Inter-State Sale (The rate of tax on these goods is 5.5% and the customers returned goods worth ₹ 56,700 after 6 months)	18,90,000

Compute Taxable Turnover of this dealer under the Central Sales Tax Act for the first Quarter ending on 30 June, 2016. (4+3+1+1+1)

30 जून, 2016 को समाप्त होने वाली प्रथम तिमाही के लिए उदयपुर के एक रजिस्टर्ड व्यापारी मैसर्स ज्योती एण्ड कं. का कुल विक्रय का विवरण निम्नलिखित है -

	₹
(i) कर मुक्त वस्तुओं का विक्रय	10,50,000
(ii) राज्य में बिक्री	6,00,000
(iii) भारत से निर्यात	7,50,000
(iv) इन्दौर में ₹ 6,90,000 में कर योग्य माल खरीदा एवं वही ₹ 7,50,000 में बेच दिया।	
(v) अन्तर्राज्जीय विक्रय (इन पर कर की दर 14.5% है एवं ग्राहकों ने ₹ 1,02,600 का माल 6 माह के अन्दर लौटा दिया था)	21,54,600
(vi) अन्तर्राज्जीय विक्रय (इन पर कर की दर 5.5% है एवं ग्राहकों ने ₹ 56,700 का माल 6 माह के पश्चात् लौटाया था)	18,90,000

30 जून, 2016 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिए केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत इस व्यापारी के कर योग्य विक्रय की गणना कीजिए।

UNIT-IV

(इकाई-IV)

8. Explain the procedure for compulsory registration of dealers under the C.S.T. Act, 1956. How does it differ from voluntary registration ? (6+4)

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत व्यापारियों के अनिवार्य पंजीयन कराने सम्बन्धी प्रक्रिया को समझाइये, ऐच्छिक पंजीयन से यह कैसे भिन्न है ?

OR (अथवा)

9. Write short notes on the following :

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :

- (a) Form 'C'
- (b) Form 'E-II'
- (c) Form 'E-I'
- (d) Form 'T'
- (e) Form 'F'

(2×5)

UNIT-V

(इकाई-V)

10. On what basis exemption from tax is provided in RVAT, 2003 ? Explain provisions of Section 8 in this respect and mention any eight types of goods for which exemption is allowed.

राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003 में कर मुक्ति किन आधारों पर प्रदान की जाती है ? इस सम्बन्ध में धारा 8 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए किन्हीं 8 कर मुक्त मालों का उल्लेख करें।

11. Mr. Ram a manufacturer sells goods to Mr. Shyam, a distributor for ₹ 20,000 (excluding VAT). Mr. Shyam sells goods to Mr. Hari, a wholesale dealer for ₹ 24,000. The wholesale dealer sells the goods to a retailer Mr. Gopal for ₹ 30,000, who ultimately sells to the consumers for ₹ 40,000. Compute the tax liability for the manufacturer, distributor, wholesale dealer and retailer assuming VAT rate is 14.5%.

श्री राम जो कि एक निर्माता है, ने श्याम वितरक को ₹ 20,000 का माल बेचा। श्याम ने यह माल हरी (थोक व्यापारी) को ₹ 24,000 में बेचा। थोक व्यापारी हरी ने माल फुटकर व्यापारी गोपाल को ₹ 30,000 में बेचा, जिसने अन्तिम ग्राहकों को यह माल ₹ 40,000 में बेच दिया। निर्माता, वितरक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी द्वारा देय कर की गणना कीजिये। वैट दर 14.5% मानिये।

PART-C

(खण्ड-स)

UNIT-I

(इकाई-I)

12. Write short notes on following items under Customs Duty Act :

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) Bill of Entry.

आयात-पत्र।

- (b) Shipping Bill.
पोर्ट परिवहन बिला।
- (c) Letter of Credit.
साख-पत्र।
- (d) Forwarding Agent.
प्रेषक एजेन्ट।

UNIT-II

(इकाई-II)

13. Explain various exemptions available to small industries under Central Excise Act.

लघु औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद शुल्क अधिनियम में कौन-कौन-सी विमुक्तियाँ प्राप्त हैं ? वर्णन कीजिए।

UNIT-III

(इकाई-III)

14. Explain briefly the provisions relating to goods of special importance under the Central Sales Tax Act, 1956.

केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विशेष महत्त्व के माल से सम्बन्धित प्रावधानों को संक्षेप में समझाइए।

UNIT-IV

(इकाई-IV)

15. M/s ATM Traders, Ajmer has submitted the following particulars of their Inter-State sales for the first quarter of year 2016-17 :

Nature of Goods	Gross Sales	Rajasthan	Sales>Returns
		VAT Rates	within 6 months from date of Sale
1. Sales to Govt. :	₹		₹
(a) Declared Goods	60,000	1.0	3,000
(b) Other Goods	80,000	5.5	5,000
2. Sales to Registered Dealers :			
(a) Other Goods	90,000	14.5	6,000
3. Sales to other persons :			
(a) Declared Goods	50,000	5.5	4,000
(b) Other Goods	1,00,000	14.5	8,000

The other information are as under :

- (i) The sales to the registered dealers are under declaration Form-C.
- (ii) An unregistered dealer returned other goods worth Rs. 6,000/- after 6 months from the date of sale.
- (iii) Sales-tax have not been collected from customers.

On the basis of the above information, compute the amount of taxable turnover and the Sales Tax payable under the Central Sales Tax Act by M/s ATM Traders for the First Quarter of the year 2016-17. (10+10)

मैसर्स एटीएम ट्रेडर्स, अजमेर ने वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही के लिए अपनी अन्तरराज्जीय बिक्री के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएँ प्रदान की हैं :

माल की प्रकृति	सकल बिक्री	राज. वैट की दर(%)	विक्रय-वापसी, बिक्री तिथि से 6 माह के भीतर
1. सरकार को बेचा :	₹		₹
(a) घोषित माल	60,000	1.0	3000
(b) अन्य माल	80,000	5.5	5,000

2. पंजीकृत व्यापारियों को विक्रयः			
(a) अन्य माल	90,000	14.5	6,000
3. अन्य व्यक्तियों को विक्रयः			
(a) घोषित माल	50,000	5.5	4,000
(b) अन्य माल	1,00,000	14.5	8,000

अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं :

- (i) पंजीकृत व्यापारियों को माल की बिक्री प्रमाण पत्र-C के अन्तर्गत की गई है।
 - (ii) एक अपंजीकृत व्यापारी ने ₹ 6000/- का अन्य माल बिक्री की तिथि के 6 माह बाद लौटाया।
 - (iii) ग्राहकों से कोई बिक्री-कर वसूल नहीं किया गया है।
- उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर मैसर्स एटीएम ट्रेडर्स की केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही के लिए कर-योग्य बिक्री का निर्धारण कीजिये तथा उस पर केन्द्रीय बिक्री कर की गणना कीजिये।

UNIT-V

(इकाई-V)

16. The total aggregation of the sales price of goods sold by M/s. Khandelwal during the quarter year ended on 31st March, 2016 was Rs. 54,00,000. It includes the following sales also :

	₹
(i) Sales of goods outside the state	3,00,000
(ii) Sales in the course of Inter-state Trade & Commerce	6,00,000
(iii) Sales of goods in the course of export trade	9,00,000
(iv) Sales of exempted goods	7,80,000
(v) Sales on MRP Basis	3,00,000

The following additional information were revealed on scrutiny of the books of accounts of M/s. Khandelwal :

- (a) M/s. Khandelwal allows a trade discount @ 10% on its turnover to all its cutomers.
- (b) M/s. Khandelwal allows a discount @2% on cash payment and 1% on payment made within a week to all its customers; 25% of the turnover was on cash payment basis and 25% of the turnover was paid within a week.
- (c) The total sales return was ₹ 60,000, out of which, half was effected within 6 months of the date of sale. All the sales return belong to the taxable turnover.
- (d) M/s. Khandelwal purchased goods for ₹ 3,60,000 without payment of tax by issuing declaration forms. Out of it, the goods purchased for ₹ 2,40,000/- was used for the purposes other than those declared by them. Such goods are not included in the goods sold during the financial year.

Calculate amount of taxable turnover of M/s. Khandelwal under Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

मै० खण्डेलवाल के द्वारा 31 मार्च, 2016, को समाप्त होने वाली तिमाही में बेचे गये मालों के विक्रय मूल्यों का योग ₹ 54,00,000 है। इसमें निम्न विक्रय शामिल हैं :

	₹
(i) राज्य के बाहर माल की बिक्री	3,00,000
(ii) अन्तर्राज्जीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री	6,00,000

(iii) निर्यात व्यापार के दौरान	
माल की बिक्री	9,00,000
(iv) कर मुक्त माल की बिक्री	7,80,000
(v) MRP पर बिक्री	3,00,000

मै० खण्डेलवाल की लेखा पुस्तकों की जाँच करने पर अग्रलिखित अतिरिक्त सूचनायें प्रकट हुई :

- (a) मै० खण्डेलवाल अपने सभी ग्राहकों को विक्रय राशि पर 10% व्यापारिक छूट देते हैं।
- (b) मै० खण्डेलवाल अपने सभी ग्राहकों को नकद भुगतान करने पर 2% की दर से तथा एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने पर 1% की दर से छूट प्रदान करते हैं। विक्रय राशि का 25% नकद भुगतान के आधार पर तथा 25% विक्रय राशि का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया गया था।
- (c) कुल विक्रय वापसी ₹ 60,000 है जिसमें से आधी विक्रय की तिथि से 6 माह के भीतर हुई थी। सभी विक्रय वापसी कर योग्य विक्रय राशि से ही सम्बन्धित है।
- (d) मै० खण्डेलवाल ने वित्तीय वर्ष में घोषणा-पत्र जारी करके ₹ 3,60,000 का माल बिना कर चुकाये खरीदा। उन्होंने इसमें से ₹ 2,40,000 के क्रय मूल्य का माल घोषित उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया था। वित्तीय वर्ष में बेचे गये मालों में यह माल शामिल नहीं है।

राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत मै० खण्डेलवाल की कर योग्य बिक्री ज्ञात कीजिये।